बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र02/BSPTCL–01/2014 पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः **बिहार राज्य के 10 जिला अंतर्गत 14 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्त्तमान में कोई ग्रिड सब–स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब–स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण हेतु 555.90 करोड़ (पॉच सौ पचपन करोड़ नब्बे लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में 90.90 करोड़ (नब्बे करोड़ नब्बे लाख) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश सं0–840 दिनांक–24.02.2014 के द्वारा बिहार राज्य के 10 जिला अंतर्गत 14 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्त्तमान में कोई ग्रिड सब–स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब–स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण हेतु 555.90 करोड़ (पॉच सौ पचपन करोड़ नब्बे लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु 10.00 करोड़ (दस करोड़) रूपये वित्तीय वर्ष 2013–14 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्यादेश सं0–2304 दिनांक 07.07.2014 के द्वारा 10.00 करोड़ रूपये तथा राज्यादेश सं0–3079 दिनांक–23.08.2014 के द्वारा 30.00 करोड़ रूपये, वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्यादेश सं0–1777 दिनांक–25.06.2015 के द्वारा 70.00 करोड़ रूपये तथा राज्यादेश सं0–1921 दिनांक–08.07.2015 के द्वारा 125.00 करोड़ रूपये, वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्यादेश सं0–1591 दिनांक–17.05.2016 के द्वारा 70.00 करोड़ रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्यादेश सं0–1349 दिनांक–24.04.2017 के द्वारा 100.00 करोड़ रूपये अर्थात कुल 415.00 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध करायी गई है। इस योजना के त्वरित गति से किये जा रहे कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये कुल 415.00 करोड़ रूपये के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2018–19 में 90.90 करोड़ रूपये की मांग की गई है।

2. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के 10 जिला अंतर्गत 14 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्त्तमान में कोई ग्रिड सब–स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के0भी0 क्षमता वाली (ए0आई0एस0) ग्रिड सब–स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण हेतु 555.90 करोड़ (पॉच सौ पचपन करोड़ नब्बे लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में 90.90 करोड़ (नब्बे करोड़ नब्बे लाख) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष–0105– बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 की परियोजना, माँग सं0–10, विपत्र कोड–10–4801051900105 विषय शीर्ष 5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0044–बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि०, व्यय शीर्ष–L8448001200044 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200044 में जमा की जाएगी।

5. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA272 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र02/BSPTCL–01/2014 के पृष्ठ संख्या–8/टि0 पर दिनांक–18.02.2014 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र02/BSPTCL–01/2014 पृष्ठ संख्या– 45/टि0 पर दिनांक–29.05.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र02/BSPTCL–01/2014 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र02/BSPTCL–01/2014 1585 /पटना, दिनांक– 31/05/2018

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/उप महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।